राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरजू बनाम मालू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/06/2026	140/2011 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/06/2026 को पेश हो।	
08/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़ व स्थाई निषेधाज्ञा का विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 363, 364, 365, 366, 367, 368 कुल किता 6 कुल रकबा 10 बीघा वाके ग्राम खतवाडीकला तह. फुलेरा में प्रतिवादी के नाम दर्ज 1/4 हिस्से की ख..दार काश्तकार होने व प्रतिवादी का नाम हजफ़ किये जाने हेतु पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर वादीनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर प्रार्थना पत्र ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया गया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10/03/2011 पारित करते हुये प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विचाराधीन का वाद इस्तकरारहक़ व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से ख़ारिज किया गया है जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसार तनकीयात कायम कर तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये गुणावगुण पर ही इस्तकरारहक़ व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद का निस्तारण किया जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरजू बनाम मालू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	140/2011	

पारित करते हुये अपीलार्थी/वादीया के वाद को ख़ारिज किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10/03/2011 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनु ण करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये गुणावगुण पर वाद का निस्तारण करे |तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर